

जन्म की तैयारी

परिचय

- ❖ जन्म की तैयारी सुरक्षित एवं आरामदेह प्रसव के लिए गर्भवती महिला एवं उसके परिवार द्वारा अग्रिम में योजना बनाने की एक विधि है।
- ❖ जन्म की तैयारी की यह योजना प्रसव पूर्व देखरेख (ए एन सी) विजिट के दौरान बनाई जानी चाहिए।
- ❖ जन्म योजना में संपर्क सूचना, खतरे के लक्षणों का ज्ञान, परिवहन व्यवस्था, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड, वित्तीय व्यवस्था, आखिरी क्षण में रेफरल सुविधा तक संभावित पहुंच आदि के बारे में जानकारी शामिल है।

संस्थागत प्रसूति सुनिश्चित करें



आशा/एएनएम/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें



जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत पंजीकरण करायें



जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ उठायें



अस्पताल पहले से तय करें



यातायात की व्यवस्था पहले से करें



प्रसव के पश्चात 48 घंटे अस्पताल में रहना सुनिश्चित करें

परिवार सुनिश्चित करता है कि—

- ❖ गर्भ की पुष्टि के बाद आशा/ए एन एम/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया जाना है।
- ❖ आशा/ए एन एम/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के फोन नंबर तथा संपर्क ब्योरा सरलता से उपलब्ध है।
- ❖ आपातकाल की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है।
- ❖ नजदीकी फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू)/अस्पताल की पहले से पहचान कर ली गई है।
- ❖ महिला को अस्पताल ले जाने के लिए शीघ्र पहुंचाने वाले परिवहन साधन की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है।
- ❖ नवजात को साफ मुलायम सूती कपड़ों (साबुन एवं पानी से धुले हुए तथा धूप में सुखाए हुए) में लपेटा जाना चाहिए।
- ❖ घर पर प्रसव होने की स्थिति में सुनिश्चित करें कि कहां प्रसव होना है और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ करें।
- ❖ प्रसव किसी कुशल प्रसव परिचर/ए एन एम द्वारा कराया जाए।



घर पर प्रसव होने की स्थिति में तैयारी



आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका

- ❖ आपको गर्भावस्था के दौरान पहले 12 सप्ताह में पंजीकरण कराने और अगली तीन प्रसव पूर्व जांच कराने में गर्भवती महिलाओं की मदद करनी चाहिए।
- ❖ प्रसव पूर्व जांच के दौरान तथा सामूहिक बैठकों के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिवारों को खतरे के लक्षणों के बारे में बताना चाहिए।
- ❖ सुनिश्चित करें कि सभी गर्भवती महिलाओं की सभी अपेक्षित जांच/अन्वेषण किए गए हैं।
- ❖ अपने गांव के निकट अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और संस्थाओं के स्थान की पहचान करें जो चौबीस घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करती हैं।
- ❖ पात्र गर्भवती महिलाओं की जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद करें।
- ❖ संस्थागत प्रसव कराने के लिए गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवारों को परामर्श/सलाह दें।
- ❖ संस्थान में प्रसव कराने के लिए गर्भवती महिलाओं के साथ अस्पताल जाएं।
- ❖ घर पर प्रसव होने की स्थिति में यह सुनिश्चित करें कि प्रसव के दौरान पांच स्वच्छताओं का पालन हो।